


राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग

क्रमांक: प. 16(39)साप्र/5/88

जयपुर, दिनांक: 19.3.12

“संशोधित आदेश”

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.3.2012 द्वारा राजस्थान हाउस एवं राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में प्रवास हेतु प्रचलित दरों में संशोधन किया गया था, जिसमें चार्जज चार्ट-3 राजस्थान हाउस नईदिल्ली के बिन्दु सं० 3 अतिरिक्त बेड में कटेगरी (अ) (1) में रुपये 80 के स्थान पर रुपये 30 पढा जावे।

आज्ञा से



सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
6. प्रमुख निवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
10. निजी सचिव, समस्त अध्यक्ष/निगम/बोर्ड/मण्डल।
11. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय।
13. उप सचिव (वीपी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या F.12001207 दिनांक 13.03.12 के क्रम में।
14. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की आई.डी. संख्या 101200659 दिनांक 23.02.2012 के क्रम में।
15. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
16. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
17. व० लेखाधिकारी, सा०प्र०(ग्रुप-4)विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा०प्र०विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को अलग से सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।



सहायक शासन सचिव